

मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 1990 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 1990 (अग्रहायण 28, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. उपत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री मुन्द्रलाल पटवा, मुख्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1-4-88 से 31-3-89 तक) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री कैलाश जोशी ऊर्जा मंत्री, विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा 5 (ए) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1986-87 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री निर्भय सिंह पटेल, वन मंत्री, कम्पनीज एकट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल का अष्टम एवं नवम् वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1973 (क्रमांक 21 सन् 1973) की धारा 17 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के वर्ष 1985-86 के लेखाओं का महालेखाकार (लेखा परीक्षा) मध्यप्रदेश द्वारा किया गया अंकेक्षण प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

(6) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त वर्ष का (तिविल) क्रमांक-1 पटल पर रखेंगे।

(7) श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री, कम्पनीज एकट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश एमो पेस्टोसाइड्स लिमिटेड भोपाल का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1980-81 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, भोपाल में पेयजल हेतु कोलार-जल उपलब्ध न हो पाने की ओर राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिंड जिले के अनेक क्षेत्रों में डकैती की घटनायें होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, बिनसपुर एवं रायपुर में संकामक बीमारी से अनेक मौतें होने की ओर राज्य मंत्री, मछली पालन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री गोपाल भारंग/श्री सुवेदार सिंह, सदस्य, सागर और मुरना जिलों में विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन नेत्र कमांक 73 चुरहट से निर्वाचित सदस्य श्री अर्जुन सिंह को विधान सभा के दिसम्बर, 1990 सवा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) गङ्गुर दरबार सिंह, सदस्य—

- (क) जिला राजनांदगांव की तहसील छुईखदान कायोलय में राजस्व संबंधी सम्पूर्ण कार्य सुचारू रूप से प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में 32 व्यक्तियों की,
- (ख) जिला राजनांदगांव, तहसील खैरागढ़ के ग्राम अकरजत में माइनर नाली निर्माण कराये जाने के संबंध में 34 व्यक्तियों की, तथा
- (ग) जिला राजनांदगांव, तहसील छुईखदान के ग्राम ढावा में पुर्व माध्यमिक शाला खोलने के संबंध में 268 व्यक्तियों की।

याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री पुष्पराज सिंह, सदस्य—

- (क) जिला रीवा के बीहर नदो में निर्मित निपनियां मोहल्ले को ग्रावागमन से जोड़ने वाली पुल की रोड शीघ्र निर्माण कराये जाने के संबंध में 19 व्यक्तियों की, तथा
- (ख) रीवा शहर के मध्य में पो. के स्कूल के बगल से जो रोड उर्हट होकर सोबे पी.टी.एस. के पास जाकर मिलता है, का सही रूप से निर्माण कार्य कराये जाने एवं उसके मध्य में पड़ने वाले नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने के संबंध में 8 व्यक्तियों,

की याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

(3) श्री जगदीश प्रसाद वर्मा, सदस्य, जिला शिवपुरी, तहसील पोहरी में पेयजल सुविधा हेतु नवीन टंकी निर्माण एवं पाईप लाइन डालने के संबंध में 25 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे।

6. सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

“मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223-ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1990-91 की शेष अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्य होने के लिए सभा के सदस्यगण अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अप्रसर हों।”

7. माध्यमिक शिक्षा मंडल में रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिए निर्वाचन

श्री विक्रम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

“यह सभा उसी रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (कमांक 23 सं. 1965) की धारा 4 (1) (च) की अपेक्षानुसार माध्यमिक शिक्षा मण्डल में रिक्त एक पद के लिए विधान सभा द्वारा अपने ददस्यों में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।”

८. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर की सभा (कोर्ट) के लिए
राज्य विधान सभा के ४ सदस्यों का निर्वाचन

श्री विक्रम बर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

“यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों में से ग्राह सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।”

९. डा. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की सभा (कोर्ट) के^{लिए}
राज्य विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन

श्री विक्रम बर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

“यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) सहपठित धारा 52 के साथ की तृतीय अनुमती की धारा 2 के पद (दस) की अपेक्षानुसार डा. हरीसिंह गौर, विश्वविद्यालय, सागर की सभा (कोर्ट) के लिये विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।”

१०. वर्ष १९९०-९१ के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, वर्ष १९९०-९१ के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

११. शासकीय विधि विषयक कार्य

(१) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश तृतीय संशोधन) विधेयक, १९९० (क्रमांक २७ सन् १९९०) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(२) श्री कैलाश चावला, गृह मंत्री, भारत भवन न्यास (संशोधन) विधेयक, १९९० (क्रमांक २८ सन् १९९०) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(३) श्री कैलाश चावला, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारत भवन न्यास (संशोधन) विधेयक, १९९० (क्रमांक २८ सन् १९९०) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डणः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

(४) श्री बाबूनाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश तृतीय संशोधन) विधेयक, १९९० (क्रमांक २७ सन् १९९०) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डणः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

निर्धारित 12. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा
समय

1 घन्टा (1) प्रदेश में बढ़ रहे नशीली वस्तुओं के व्यापार एवं उपयोग के कारण नवयुवकों का
जीवन अंधकारमय होने के संबंध में श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री ललित जैन, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

1 घन्टा (2) कृषकों को सरकार द्वारा घोषित रु. 10,000.00 अरु मुक्ति का लाभ न
30 मिनट मिलने के संबंध में श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

भोपाल :

दिनांक 17 दिसम्बर, 1990.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।